जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

Ref. NO: BRLPS/Proj/497/14/3707 Date: 05.12.2016

कार्यालय आदेश

(स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन इत्यादि) का निर्माण कर क्षमतावर्धन किया जाता है ताकि आजीविका के संसाधनों को सुदृढ़ किया जा सके। आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु यह जरूरी है कि **समूहों का वित्तीय संपोषण (बचत खाता खुलवाना एवं क्रेडिट लिंकेज करवाना) ससमय सुनिश्चित किया जाए**। जीविका परियोजना के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख से भी ज्यादा समूहों को बैंकों से वित्त संपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आंशिक सफलता मिली है परंतु पूर्ण रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विशेष कार्य योजना तैयार करने की जरूरत महसूस की गई है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं-

क- समूहों के दस्तावेज (बचत खाता एवं ऋण खाता से संबंधित) को बेहतर ढंग से तैयार करने की जरूरत है ताकि दस्तावेजों की गुणवत्ता बढ़ायी जा सके एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित की जा सके।

ख- यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि हरेक प्रखंड में एक व्यक्ति को नोडल पर्सन (Nodal Person) के रूप में नामित किया जाए और उसे यह जिम्मेदारी दी जाए कि तैयार दस्तावेजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उसका आकलन करें। **संबंधित व्यक्ति को नामित करने की जिम्मेदारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक की होगी।** यह जरूरी होगा कि संबंधित इंचार्ज/ माइक्रो फायनांस प्रबंधक के राय को संज्ञान में लेते हुए उपयुक्त निर्णय लिए जाएँ। इस संदर्भ में किये गये कार्य को वार्षिक आकलन के समय उचित महत्व दिया जायेगा।

ग- प्रखंड परियोजना प्रबंधक की यह जिम्मेदारी होगी कि बैंक में जमा करने हेतु तैयार दस्तावेजों (बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज) की सूची समूहवार रजिस्टर में दर्ज करें एवं गुणवत्तापूर्वक तैयार दस्तावेजों को ही बैंकों को समर्पित करें। इस कार्य हेतु चयनित नोडल पर्सन की जिम्मेदारी तय करते हुए रजिस्टर में संकलित करना सुनिश्चित करें। रजिस्टर संकलित करने हेतु निम्नलिखित मदों को समेकित किया जा सकता है:

क्र0सं0	समूह का नाम	ग्राम का नाम	संबंधित सामुदायिक समन्वयक का नाम	संबंधित सामुदायिक उत्प्रेरक (Community Mobilizer) का नाम एवं मोबाईल सं0	दस्तावेज की गुणवता (उत्तम/सुधार की जरूरत)	बचत खाता संख्या (खाता खुलने के बाद)	ऋण खाता संख्या (खाता खुलने के बाद)

उपर्युक्त वर्णित मानकों के अलावा अन्य मानकों को भी जरूरत के हिसाब से रजिस्टर में संकलित किया जा सकता है।

घ- उपर्युक्त रणनीति जरूरी है क्योंकि बैंक दस्तावेजों की गुणवत्ता पर बैंकों के द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। बचत खाता खोलने एवं बैंक लिंकेज की प्रक्रिया को गति देने हेतु यह जरूरी है कि तैयार दस्तावेजों को उपर्युक्त निदेश के अंतर्गत प्रखंड इकाई पर आकलन हो। **तैयार दस्तावेजों को समूहवार रजिस्टर में सूचीबद्ध किया जाए एवं अच्छे ढंग से तैयार दस्तावेजों को ही बैंक को समर्पित किये जाए।**

ङ- विगत 7 महीनों में बैंक लिंकेज पर अच्छा काम हुआ है तथा लगभग 85,000 समूहों को बैंक द्वारा वित्त संपोषण उपलब्ध करवाया गया है। तथापि इसे वृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। **समस्त जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को निदेशित है कि दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य शीघ्र शुरू कर दें।** जीविका आने वाले 3 महीनों में तकरीबन 1.50 लाख समूहों का वित्त संपोषण सुनिश्चित करना चाहती है। **वित्तीय वर्ष 2016-17 में वृहद पैमाने पर समूहों को द्वितीय/ तृतीय क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाने का भी लक्ष्य रखा गया है।** जिला परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रखंडवार समूहों की संख्या का निर्धारण हो एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निदेशित रणनीति पर क्रियान्वयन हो। साथ ही क्रेडिट लिंकेज किये गये समूहों को बैंकों के माध्यम से ऋण राशि को Disbursement भी सुनिश्चित करें।

च- समूहों के बचत खाता खोलने एवं क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न बैंकों से संबधित दस्तावेजों की उपलब्धता प्रखंड/जिला स्तर पर सुनिश्चित करें। किसी भी कठिनाई की परिस्थिति में राज्य स्तर पर वित्तीय समावेशन इकाई से संपर्क स्थापित करें ताकि बैंकों से दस्तावेजों की उपलब्धता तत्काल सुनिश्चित की जा सके। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की वित्तीय समावेशन टीम के द्वारा अधिकांश बैंकों के दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। जिला परियोजना प्रबंधक राज्य इकाई से समन्वय स्थापित कर दस्तावेजों की उपलब्धता प्रखंड इकाई तक सुनिश्चित करें।

छ- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई/बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों को जिला एवं प्रखंड स्तर पर Stock Register में अंकित करने की जरूरत है ताकि प्राप्त दस्तावेजों के आकलन को सुनिश्चित किया जा सके। जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला एवं प्रखंड स्तर पर दस्तावेजों से संबंधित Stock Register को ससमय लिखा जा रहा है।

ज- विभिन्न बैंकों ने अपने दस्तावेजों की soft copy जीविका परियोजना को उपलब्ध करवायी है तथा पत्र निर्गत कर अधीनस्थ शाखाओं को निदेश दिया है कि दस्तावेजों को print out कर उपयोग किया जा सकता है। जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को निदेशित है कि **जीविका परियोजना की राज्य इकाई एवं विभिन्न बैंकों के द्वारा की गयी सार्थक पहल का उपयोग करें एवं दस्तावेजों को print out निकाल कर कार्य को गति प्रदान करें।**

झ- दस्तावेज तैयारी की समीक्षा राज्य स्तर पर लगातार की जाएगी। अत: यह निदेशित है कि जिला एवं प्रखंड इकाइयॉ **इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हुए इस दिशा में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें।**

ञ- सामुदायिक संगठनों एवं उनसे जुड़ी सामुदायिक उत्प्रेरकों (Community Mobilizers) की सहभागिता बढ़ाने हेतु पूर्व से निदेशित Incentive Payment को पूर्ण रूपेण क्रियान्वयित करने की जरूरत है। बचत खाता एवं ऋण खाता दस्तावेज (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) तैयार करने हेतु Community Mobilizers को क्रमश: 100 रूपये (एक सौ रूपये) एवं 150 रूपये (एक सौ पचास रूपये) Incentive के तौर पर देना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के अंतर्गत तैयार दस्तावेजों के आकलन के आधार पर Incentive राशि देना सुनिश्चित करें। सामुदायिक उत्प्रेरकों को प्रोत्साहन राशि समय पर उपलब्ध करवाते हुए बैंक ऋण की राशि निकासी हेतु जोर दिया जाय। **इस प्रोत्साहन राशि से सामुदायिक स्तर पर क्षमतावर्द्धन होगी एवं सामुदायिक संगठनों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी।** साथ ही सामुदायिक संगठनों को स्वाबलंबी बनाने में सहायता मिलेगी।

ट- **बचत खाता/ऋण खाता के दस्तावेजों को तैयार करने हेतु समूह की एक या दो बैठक का समय पूर्ण रूप से उसी मद में उपयोग किया जा सकता है।** संबंधित बैठक में सिर्फ दस्तावेज से संबंधित सारी प्रक्रियाओं एवं तैयारियों (फोटो KYC की उपलब्धता, आधारकार्ड की उपलब्धता एवं महत्व, व्यक्तिगत बचत खाता की उपलब्धता एवं महत्व, व्यक्तिगत जरूरत, बैंक से संबंधित पैसे के उपयोग पर चर्चा, ससमय ऋण वापसी की जरूरत इत्यादि) पर जोर दिया जाएगा। संबंधित बैठक में अन्य कार्यो/विषयों को भविष्य के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

ठ- यह निदेशित है कि Community Mobilizers को दस्तावेज तैयार करने हेतु संबंधित विषय पर क्षमतावर्धन सुनिश्चित करें एवं उसी समय सभी Community Mobilizers को बचत एवं ऋण खाता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवा दें। दस्तावेजों को वापस करने की समय सीमा भी तय करते हुए Community Mobilizers एवं अन्य परियोजनाकर्मियों की जिम्मेदारी तय करना प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे।

ड- प्रखंड परियोजना प्रबंधक Community Mobilizers/ अन्य Community Cadres के बीच से बैंकों के दस्तावेज के आकलन हेतु कुछ लोगों का चयन कर सकते है **जिनकी दक्षता दस्तावेज**

तैयार करने में बेहतर है। संबंधित सदस्यों को Resource Person के रूप में दस्तावेजों के आकलन/तैयारी हेतु नामित किया जा सकता है। ऐसे अधिकतम 5 लोगों का चयन कर उन्हें Community Resource Person (CRP) के रूप में हर महीने अधिकतम 10 दिन का कार्य दे सकते हैं एवं CRP हेतु तय Incentive राशि का भुगतान कर सकते है। **यह व्यवस्था 31 मार्च 2017 तक मान्य होगी।** यह उनके मासिक मानदेय के अतिरिक्त होगा।

ढ- प्रखंड स्तर पर विभिन्न कर्मियों द्वारा तैयार दस्ता वेजों को रखने हेतु Pigeon Almirah खरीदने की जरूरत है। सभी प्रखंडों को निदेशित है कि 2-3 Pigeon Almirah की खरीदारी सुनिश्चित करें। सभी प्रखंड इस मद में 12,000 रूपये (बारह हजार रूपये) तक की राशि निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप खर्च कर सकते हैं। Pigeon Almirah की उपलब्धता सुनिश्चित होने से विभिन्न परियोजना कर्मियों को दस्तावेजों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

ण- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers Committee) के द्वारा 21 दिसम्बर, 21 जनवरी एवं 21 फरवरी को प्रखंड/ जिला स्तर पर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। State Level Bankers Committee के इस निर्णय से समूहों को वित्तीय संपोषण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अत: इसे सफल बनाने हेतु तैयारी को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयित करना सुनिश्चित करेंगें। **इस हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना जरूरी होगा। इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी CC/AC/LHS को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

उपर्युक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक की होगी।

05/12/16
(बालामुरुगन डी0)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि:

1. OSD/Director/CFO/FO/AO/PS
2. PC-FI/PC-KMG/All SPMs/All PMs
3. All DPMs/In charge DPMs/All thematic Managers
4. All BPMs/In charge BPMs/ ACs/CCs
5. IT Section/Concerned File/All Accountants of Blocks & Districts